sceeding

अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री सुबोध श्रीवास्तव प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। राज्य द्वारा एडीपीओ।

प्रकरण होकर उपस्थित मित्राम कार्ति कार्ति के पालन

रखते संभावना राजीनामा फरियादी राजकुमार व आहत जयवीर ने राजीनामा की संभावना व्यक्त की। अतः उभयपक्षों ने मीडिएशन में प्रकरण रैफर किए जाने का निवेदन किया न आहत जयवीर ते। अतः उभयपक्षों

fcons Infrastructur स्थि मध्यस्थता नु । ध्यान में Company 4 अनुसार विवाद वस्तु को Construction देए गए निर्देश के मध्य विषय निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः न्याय दृष्टांत उभय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की Limited Vs Cheriyan Varkey Cons Limited (2010)8 SSC 24 并 保可 可 मध्यस्थता के माध्यम से उभय पक्षों लिए एक उपयुक्त प्रकरण है। Limited प्रकरण में

द्वारा उनके चुनाव किया य मुन उभयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूछे मध्यस्थ सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी, जेएमएफसी गोहद का

हस्ताक्ष 03.02.17 स्तिवत उनके अधिवक्ताओं के किया जाता पकी दिनांक 15.02.17 पक्ष निदेशित उमय कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को भेजा जाये। 12 बजे मध्यस्थ के समक्ष उपरिथत हों। मध्यस्थ को अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उभय पक्षों मध्यस्थता का परिणाम सफल/असफल जो भी हो

प्रतिवेदन कार्यवाही 15.02.17 को मीडियेशन आगामी दिनांक प्रस्तुती हेतु पेश हो। प्रकरण

First C distt.Bhind Indicial Gohad

उभयपक्ष पूर्वतत।

प्राय 是 मध्यस्थ न्यायालय से मध्यस्थता सफलता

उसव अधिवक आवेदन पत्र, अतर्गा द्वारा छायाप्रति त्व श्री सुबोध श्रीवास्तव अनुमिति पहचान जयवीर हिंदी \$ 45 आहत राजीनामा राजीनामा दस्तावेज 哥哥 त्वं उसके अधिवनता 320-4 दप्रस फरियादी 母 मय संबंधी 19 फरियादी एवं आहत जयवीर की ओर से द0प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमिति बाबत् युक्त, पहचान जयवीर एवं अभियुक्तगण की पहचान आहत प्रस्तुत किया गया। फरियादी, हस्ताक्षर, छायाचित्र अतर्गत धारा 320-2 एवं रामवीरसिंह धारा 320 पिता के

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन

at Class निरस अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के जान्युवत्तराण की घारा 294 323 दो काउण्ट सहपिति धारा 34, 506 भाग दो माठद्रविव के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुव्तराण की टोलमिट के सामाजिक कथन सहपित धारा न्यायालय अमिलेखागार पाजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोम-लालब के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोम-लालब के पारस्परिक संबंधों को उसका नैसर्गिक फरियादी एवं आहत जयवीर की और से उसके पिता द्वारा अभियुक्तगण रखते Judicial Magistrate Fir के आशय से किया जाना प्रकट किया है। आहत जयवीर की ओर से उसका नैर् पिता राजीनामा करने में सक्षम हैं। राजीनामा के संबंध में आहत जयवीर का Archita Order or proceeding with Signature of Presiding Officer आरोप आशय एव राजीनामा अनुमित आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है। T जाते है। प्रकरण में आगामी नियत प्रकरण ध्यान कासियद है। उन्त क मुसंगत अभिलेख मे दर्ज कर 323 दो आरोप है 506 भाग दो के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है अनुमित से शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने ते बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य 294 प्रकरण मे जप्त शुदा संपत्ति नहीं है। अभियुक्तगण पर भाठद०वि० की धारा

गया।

लेखबद्ध किया

के आशय से

34, 506 भाग की अनुमिति से

E SELECTION OF THE PERSON OF T

Gohad distt.Bhind

ब्रापत्र भारमुक्त किए

भ्राभियुक्तगण

जाती है।

प्रकरण का परिणाम